



राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग

प्रलिस के लयि:

एनसीएसटी, एसटी से संबंघति संवैधानकि प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

एनसीएसटी और उसके कारय, अनुसूचति जनजात।

चर्चा में क्यौं?

एक संसदीय समति की हालिया रपौरट के अनुसार, [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग](#) (National Commission for Scheduled Tribes-NCST) पछिले चार वर्षों से नषिकरयि है तथा उसके द्वारा इन चार वर्षों में [संसद](#) (Parliament) के समकष एक भी रपौरट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

प्रमुख बदि:

NCST के बारे में:

- **स्थापना:** राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग (NCST) की स्थापना भारतीय संवधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संवधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संवधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मलित कर की गई थी, अतः यह एक संवैधानकि नकिय है ।
- **उद्देश्य:** अनुच्छेद 338A अन्य बातों के साथ-साथ NCST को संवधान के तहत या कसिी अन्य कानून के तहत या सरकार को कसिी अन्य आदेश के तहत STs को प्रदान कयि गए वभिन्नि सुरक्षा उपायों के कारयान्वयन की नगिरानी करने और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान करता है ।
- **संरचना:** इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालकि सदस्य (एक महिला सदस्य सहति) शामिल हैं ।
 - सदस्यों में कम-से-कम एक सदस्य महिला होनी चाहयि ।
 - कारयकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और NCST के सदस्यों का कारयकाल पदभार ग्रहण करने की तथिसे लेकर तीन वर्ष तक का होता है ।
 - सदस्य दो से अधिक कारयकाल के लयि नयुक्ति के पात्र नहीं होते हैं ।
- इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबनिट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचवि पद का दर्जा दिया गया है ।

NCST के करतव्य और कारय:

- NCST को संवधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचति जनजात के लयि प्रदान कयि गए सुरक्षा उपायों से संबंघति मामलों की जाँच एवं नगिरानी का अधिकार है ।
- अनुसूचति जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचति करने के संबंघ में वशिषिट शकियतों की जाँच करना ।
- अनुसूचति जनजातियों के सामाजकि-आर्थकि वकिस की योजना प्रकरयि में भाग लेना और सलाह देना एवं उनके वकिस की प्रगतिका मूल्यांकन करना ।
- राष्ट्रपति को वार्षकि रूप से और ऐसे अन्य समय पर रपौरट प्रस्तुत करना जब आयोग उन सुरक्षा उपायों के कारय पर रपौरट देना उचति समझे ।
- अनुसूचति जनजातियों के संरक्षण, कलयाण और वकिस तथा उननत के संबंघ में ऐसे अन्य कार्यों का नरिवहन करना, जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कसिी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नयिम द्वारा वनिरिदषिट करे ।

NCST से संबंघति मुद्दे:

- **लंबति रपौरट:**
 - वतितीय वर्ष 2021-22 में इसकी केवल चार बार बैठक हुई है । शकियतों के समाधान और इसे प्राप्त होने वाले मामलों की लंबति दर भी

50% के करीब है।

■ जनशक्ति और बजटीय आवंटन में कमी:

- समिति ने जनशक्ति और बजटीय कमी के साथ आयोग के कामकाज पर नरिशा व्यक्त की।
- आयोग में भरती, आवेदकों की कमी के कारण बाधति थी क्योंकि पात्रता को कई बार नरिधारति कयिा गया और कई उम्मीदवारों को आवेदन करने में सक्षम बनाने के लयि नयिनों को बदल दयिा गया था।

पैनल की सफिरशैं:

- रकितयों को तुरंत भरा जाना चाहयि। इसमें अब और देरी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भरती नयिनों को **उपयुक्त रूप से संशोधति** कयिा गया है।
- आयोग के लयि **बजटीय आवंटन की समीक्षा करने की आवश्यकता** है ताकधिन की कमी के कारण इसके कामकाज को नुकसान न पहुँचे।

भारत में अनुसूचति जनजातयों की स्थति:

■ परिचय:

- वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचति जनजातयों को 'बहरिवेशति' और 'आंशकि रूप से बहरिवेशति' क्षेत्रों में 'पछिड़ी जनजातयों' के रूप में जाना जाता है। वर्ष **1935 के भारत सरकार अधनियिम** के तहत पहली बार '**पछिड़ी जनजातयों**' के प्रतनिधियों को प्रांतीय वधिानसभाओं में आमंत्रति कयिा गया।
- संवधिान अनुसूचति जनजातयों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषति नहीं करता है और इसलयि वर्ष 1931 की जनगणना में नहिति परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभकि वर्षों में कयिा गया था।
- हालाँकि संवधिान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचति जनजातयों को परिभाषति करने के लयि प्रकरयिा नरिधारति करता है: "**अनुसूचति जनजातयों का अर्थ ऐसी जनजातयों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से है, जिन्हें इस संवधिान के उद्देश्यों के लयि अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचति जनजातमाना जाता है।**"
 - **342(1):** राष्ट्रपतकििसी भी राज्य या केंद्रशासति प्रदेश के संबंध में तथा जहाँ यह एक राज्य है, वहाँ के राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनकि अधिसूचना दवारा उस राज्य या केंद्रशासति प्रदेश के संबंध में जनजातयों या जनजातीय समुदायों या जनजातयों या जनजातीय समुदायों के समूहों को अनुसूचति जनजात के रूप में नरिदष्टि कर सकता है।
- अब तक लगभग 705 से अधिक जनजातयों ऐसी हैं जिन्हें अधिसूचति कयिा गया है। सबसे अधिक संख्या में आदविसी समुदाय **ओडशा** में पाए जाते हैं।

■ कानूनी प्रावधान:

- असंपृश्यता (अपराध) अधनियिम, 1955
- [अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात \(अत्याचार नविरण\) अधनियिम, 1989](#)
- [पंचायत \(अनुसूचति क्षेत्रों में वसितार\) अधनियिम 1996](#)
- [अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरकि वन नविसी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधनियिम 2006](#)

■ संबंधति पहल:

- **ट्राइफेड**
- [जनजातीय सकूलों का डिजिटल परिवर्तन](#)
- [वशिष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों \(Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs\) का वकिस](#)
- [वन धन वकिस योजना](#)

■ संबंधति समतियौ:

- [शाशा समति \(2013\)](#)
- भूरयिा आयोग (2002-2004)
- लोकर समति (1965)

I.A-Definition and Specification of STs	
Art.	Title
Preamble	
342	Scheduled Tribes
366	Definitions
II.B - Educational, Economic and Public Employment-related Safeguards	
15	Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
16	Equality of opportunity in matters of public employment
19	Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc
46	Promotion of Educational and Economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections
335	Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts
II.C- Political Safeguards	
330	Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People
332	Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States
334	Reservation of seats and special representation to cease after sixty years
243D	Reservation of seats (in Panchayats)
243T	Reservation of seats
II.D- Agency for monitoring safeguards	
338A	National Commission for Scheduled Tribe

//

अनुच्छेद 244: खंड (1) पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण पर लागू होंगे, जो इस अनुच्छेद के खंड (2) के तहत छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

334: आरक्षण के लिये 10 वर्ष की अवधि (अवधि बढ़ाने हेतु कई बार संशोधित)।

वर्षों के प्रश्न

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा
- राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण
- पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़मिमेदारियों का निर्धारण
- सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा

उत्तर: (a)

स्रोत: द हट्टू

